

मालखाना आइटम का निस्तारण

Content

Time: 90 min

1. पुलिस थानों में जप्त वाहनों/मादक पदार्थों एवं स्वापक औषधियों/शराब के निस्तारण बाबत, क्रमांक 6504 दिनांक 18.05.2016
2. आदेश, क्रमांक 7218-72 दिनांक 17.05.2016
3. मालखाना आइटम्स (वाहनों) के निस्तारण हेतु विशेष अभियान के संबंध में, क्रमांक 6004-6045 दिनांक 13.03.2019

**कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध शाखा),
राजस्थान, जयपुर।**

क्रमांक:— सीआईडी/सीबी/पीआरसी/2016/6504-55

दिनांक:— 18.05.2016

आदेश

विषय:—पुलिस थानों में जब्त वाहनों/मादक पदार्थों एवं स्वापक औषधियों/ शराब के निस्तारण बाबत।

राज्य के विभिन्न थानों में जब्त किये गये वाहनों/मादक पदार्थों एवं स्वापक औषधियों/शराब बाबत परिपत्रों—(1) सीआईडी/सीबी/2011/एनडीपीएस सैल/ 2015/7218-72 दिनांक 17.05.2016 (2) सीआईडी/सीबी/पीआरसी/ परिपत्र/ 2015/16865-915 दिनांक 30.07.2015 (3) 1491-1537 दिनांक 06.11.1999, आबकारी विभाग के परिपत्र संख्या प. 22 (बी) (10) डोपो/आब/ सेटल/2008/836 दिनांक 01.05.2014, भारत का राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 16.01.2015 एवं सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय आदि की सहायता से निस्तारण किये जाते हैं।

अतः राज्य के पुलिस थानों में जब्तशुदा मालों के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाने के लिये ब्लॉक डायग्राम तैयार किये गये हैं। जिन्हें समस्त पुलिस थानों को Circulate (परिचालित) कर प्रभावी कार्यवाही करावें।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

Digitally Signed


Pankaj Kumar Singh
ADGP Crime

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर एवं समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज राजस्थान।
2. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि इस प्रक्रिया से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आप अपने कार्यालय में एक कार्यशाला आयोजित करें जिसमें उप निदेशक अभियोजन का प्रतिनिधि, वृताधिकारी, थानाधिकारी एवं थानों के मालखाना प्रभारी भाग लें। इस कार्यशाला में मालखाना निस्तारण प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण दिया जावे एवं पालना रिपोर्ट 5 जून तक जरिये ईमेल—dailysitrep@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

अति. महानिदेशक पुलिस
सी.आई.डी. (अपराध शाखा)
राजस्थान, जयपुर।

एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत जब्त माल की निस्तारण प्रक्रिया



सूचि - अ

DGP Order No. : - CID/CB/11/NDPS Cell/2015/7218-72
Dated:-17-05-2016

S No.	Name of Item	Quantity
1.	Heroin	5Kg.
2.	Hashish(Charas)	100Kg.
3.	Hashish oil	20Kg.
4.	Ganja	1000Kg.
5.	Cocaine	2KG.
6.	Mandrax	3000Kg.
7.	Poppy Straw	Up to 10 MT.
8.	Other Narcotic Drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances(वाहन)	Up to the value of Rs. 20 lakh.


Stock more than above quantity would be disposed by Special High empowered committee

विदेशी मदिरा, बीयर, देशी मदिरा एवं
हथकड़ शराब की निस्तारण प्रक्रिया



आपराधिक प्रकरणों एवं 102 द.प्र.सं. में जब्त वाहन


निस्तारण प्रक्रिया



कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सीआईडी, (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक सीआईडी/सीबी/पीआरसी/2016/6504-55 दिनांक 18.05.2016

38 पुलिस अधिनियम में जब्त वाहन

निस्तारण प्रक्रिया



207 / 185 एम.वी. एक्ट में जब्त वाहन

निस्तारण प्रक्रिया

